**संख्या:21/2022/I/191826/2022/003-46-1002-003-3-2022**

प्रेषक,

**डॉ. रूपेश कुमार,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आयुक्त,**
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 19 जुलाई, 2022

विषय-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 के वेतन मद हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 08 माहों (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-101/लेखा-बजट(चीनी)/, दिनांक 12-07-2022, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 0304-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ को सहायता 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष शासनादेशसंख्या:9/2022/I/157482/2022/001-46-1002-003-3-2022, दिनांक 20.04 .2022 द्वारा लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम 04 माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए धनराशि **रू.239.98 लाख (रूपये दो करोड़ उन्तालीस लाख अन्ठानवे हजार मात्र)** को घटाते/समायोजित करते हुए प्राविधानित धनराशि रू.720.00 लाख के सापेक्ष अवशेष 08 माहों (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिए धनराशि **रू.480.02 लाख (रूपये चार करोड़ अस्सी लाख दो हजार मात्र)** का निम्न विवरण के अनुसार वेतन एवं अन्य वचनबद्ध मद में आहरित करने तथा यथावश्यकता लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | मद विवरण | वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में मांग की गयी धनराशि | वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों **(अप्रैल से जुलाई, 2022 तक)** के लिए स्वीकृत धनराशि | वित्तीय वर्ष 2022-23 के अवशेष आठ माहों (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिए स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **क- सामान्य (वेतन)** | | | |
| 1 | वेतन भत्ते एवं सातवें वेतनमान का बकाया | 589.00 | 196.33 | 392.67 |
| 2 | सेवानिवृत्त कार्मिकों की ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण | 50.00 | 16.66 | 33.34 |
| 3 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 10.00 | 3.33 | 6.67 |
| 4 | यात्रा भत्ता | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 5 | सी.पी.एफ. अंशदान | 62.00 | 20.66 | 41.34 |
| | **योग** | **720.00** | **239.98** | **480.02** |

**(रूपये चार करोड़ अस्सी लाख दो हजार मात्र)**

**<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों:-</u>**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(4) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(5) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0304-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. को सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त वित्तीय स्वीकृति, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**डॉ. रूपेश कुमार**

विशेष सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या:21/2022/I/191826/2022 एवं तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र.।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

**डॉ. रूपेश कुमार**

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है